भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1082

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

युवाओं की नियोजनीयता

1082. श्री जगदीश शट्टर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार लाने, विशेषकर नए आयु वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

देश के युवाओं की नियोजनीयता में सुधार लाने और नई जॉब रोल्स निभाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौ शल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने तथा प्रशिक्षुओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग जगत अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की नौकरी की भूमिकाओं की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करता है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें तथा उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।

vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो कौशल पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के साथ जोड़ते हैं।

ix एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण तथा शिक्षुता कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सहभागिता बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

x भारत सरकार ने कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है।

*****